बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0 :–2/अ0प्र0–1–76/24 30 /पटना, दिनांक :– 18-6-24

अररिया जिला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–2 अंतर्गत दिनांक 18.06.2024 को बकरा नदी पर निर्माणाधीन पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। स्पष्ट है कि पुल का निर्माण गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ है। श्री मनीष कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया उक्त पुल के निर्माण कार्य से सम्बद्ध रहे हैं एवं इनके द्वारा कर्त्तव्यहीनता बरती गयी है।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री मनीष कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिये निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10(1) के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

18/06/2024

(भगवत राम)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–76/24 1868 /पटना, दिनांकः– 18-6-24

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, अररिया/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/06/2024

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ0प्र0–1–76/24 1868 /पटना/दिनांकः– 18-6-24

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, अररिया/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रभारी लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल किशनगंज/गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया/प्रशाखा पदाधिकारी–4/श्री मनीष कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/06/2024

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव